RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016-18

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग सात

वर्ष ४, अंक १८] शुक्रवार, जुलै १३, २०१८/आषाढ २२, शके १९४० [पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ३५

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक १३ जुलाई, २०१८ ई. को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :–

L. A. BILL No. XLVII OF 2018.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION ACT, MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS AND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS ACT AND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, *NAGAR PANCHAYATS* AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ४७ सन् २०१८।

मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् १८८८ का ३।
सन् १९४९ का ५९।
सन् १९६५ का महा. ४०।

क्योंकि, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर हैं; अतः भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता हैं :—

अध्याय एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम। **१.** यह अधिनियम मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१८ कहलाए।

अध्याय दो

मुंबई नगर निगम अधिनियम में संशोधन।

सन् १८८८ का ३ की धारा १५२क में संशोधन। **२.** मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा १५२ क की, उप-धारा १ के, प्रथम परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :— सन् १८८८ का ३।

"परंतु यह और कि, इस उप-धारा के अधीन निगम द्वारा विनिश्चित किये गये दर, मुंबई नगर निगम (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २००६ के प्रारंभण के दिनांक जो १ अप्रैल, २०१० हैं, से प्रभावी हुये समझे जायेंगे।"। सन् २००९ का महा. ११।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में संशोधन।

सन् १९४९ का ५९ की धारा २६७क में संशोधन। **३.** महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा २७६क के, प्रथम परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक, जोडा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९४९ का ५९।

"परंतु यह और कि, इस उप-धारा के अधीन निगम द्वारा विनिश्चित किये गये दर, बम्बई प्रांतीय नगर निगम, नागपूर नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २००७ के प्रारंभण के दिनांक जो ४ जनवरी, २००८ हैं, से प्रभावी हुये समझे जायेंगे।"। सन् २००८ का महा. २।

अध्याय चार

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में संशोधन।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा १८९क में संशोधन। **४.** महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ की धारा १८९क की, उप-धारा (१) में,— सन् १९६५ का महा. ११।

(क) "प्रत्येक वर्ष, शास्ति, जो ऐसे भवन पर उद्ग्रहणीय संपत्ति कर के दुगने के समान होगी, का भुगतान करने के लिये दायी होगा" शब्दों के स्थान में निम्न, रखा जायेगा, अर्थात् :—

"ऐसे भवन पर, सरकार द्वारा आदेश द्वारा, समय-समय से विनिश्चित किये जा सके ऐसे दर पर शास्ति के लिये दायी होगा";

(ख) प्रथम परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक, जोडा जायेगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि, मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१८ की धारा ४ के खण्ड (क) द्वारा किये गये संशोधन को ध्यान में रखते हुए, इस उप-धारा के अधीन, सरकार द्वारा विनिश्चित किये गये दर, नगर निगम और बम्बई प्रांतीय नगर निगम, नागपूर नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २००७ के प्रारंभण के दिनांक, जो ४ जनवरी, २००८ हैं, से प्रभावी हुये समझे जायेंगे।"। सन् २०१८ का महा.। सन् २००८ का महा. २।

अध्याय पांच

विविध।

सन् १८८८ का ३। सन् १९४९ का ५९। सन् १९६५ का महा. ४०।

४. (१) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम या, यथास्थिति, महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो, **राज्य सरकार,** जैसा कि अवसर उद्‌भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सुसंगत अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत ऐसे निदेश दे सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परंतु, ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से, दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात् नही बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन जारी किया गया प्रत्येक आदेश, यथासंभव शीघ्र, उसके जारी करने के पश्चात्, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

मुंबई नगर निगम अधिनियम (सन् १८८८ का ३) की धारा १५२क, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ५९) की धारा २६७क और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन् १९६५ का महा. ४०) की धारा १८९क, सुसंगत नगरीय विधियों में निगमित होते हुये यह उपबंध करती हैं कि, जो कोई भी अविधिमान्य रुप से, उन अधिनियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पुर्वानुमति के बिना या अनुमति से जुडे उपबंधों के उल्लंघन में उसकी भूमि पर या प्रादेशिक तथा नगर योजना से संबंधित विधि के अनुमोदन के बिना स्थान पर या अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाये गये उप-विधियों के उल्लंघन में या उन अधिनियमों के अधीन दिये गये किन्ही निदेशों या आवश्यकताओंके उल्लंघन में, उसकी भूमि पर या अधिनियम के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन में, निगम या केंद्रीय या राज्य सरकार या कानूनी संगठन या ऐसी सरकार द्वारा बनायी गयी कंपनी से जुडी या पट्टे पर दी गई भूमि पर किसी भवन की या भवन भाग की संरचना या पुनर्संरचना करता है, वह, जब तक ऐसा भवन अप्राधिकृत रहें तब तक प्रत्येक वर्ष ऐसे भवन पर उप ग्रहणीय संपत्ति कर के दुगने के समान शास्ति का भुगतान करने के लिये दायी होगा। उक्त धाराएँ यह और उपबंध करती हैं कि, ऐसा उद्ग्रहण, किन्ही कार्यवाहीयों, जो ऐसी अविधिमान्य संरचना के लिये ऐसे व्यक्ति के विरूध्द की जायेगी, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा। यह भी उपबंध किया गया है कि, उद्ग्रहण और कर का संग्रहण और शास्ति का, ऐसी अविधिमान्य संरचना या पुनर्संरचना के, उसके अविधिमान्य अस्तित्व की जो कोई भी हो, किसी अवधि के किये नियमितीकरण के रुप में अर्थ नहीं लगाया जायेगा। उक्त धाराओं की उप-धारा (२) उपबंध करती है कि, उप-धारा (१) के अधीन उपबंधित शास्ति, यदि देय रकम संपत्ति कर का बकाया हो, के रूप में निर्धारित और संग्रहित की जायेगी। मुंबई नगर निगम अधिनियम (सन् १८८८ का ३) की उक्त धारा १५२क और महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ५९) की धारा २६७क, सन् २०१७ का महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ५१ के द्वारा संशोधित की गई है और नगर निगम ८ जनवरी २०१७ के तद्धीन उद्ग्रहीत की जानेवाली शास्ति का परिमाण सुनिश्चित करने के लिये सशक्त होंगे।

यह देखा गया हैं कि, कुछ अनैतिक लोग, अविधिपूर्ण रीति से भवन की संरचना के पश्चात् फ्लैटस् या उनके युनिट खरीददार को बेचते हैं, जो सच्चे विश्वास के साथ फ्लैट या उसके युनिट की खरीद करता हैं कि, ऐसी संरचना विधि के अधीन सम्यकतया प्राधिकृत हैं। इसलिये, शास्ति की रकम, जैसे वह संपत्ति कर का बकाया हो के रुप में वसूल हो, ताकि ऐसे खरीददार को उनकी गलती के लिये शास्ति का भुगतान न करना पडे।

उपरोक्त की दृष्टी में, मुंबई नगर निगम अधिनियम (सन् १८८८ का ३) की धारा १५२क की उप-धारा (१) और महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ५९) की धारा २६७क की उप-धारा (१) में द्वितीय परंतुक जोडना प्रस्तावित हैं, जिससे उपबंध किया जा सकेगा कि, निगम द्वारा तद्धीन सुनिश्चित किये गये दर, उक्त धारा १५२क और उक्त धारा २६७क के निगमित करने के दिनांक से प्रभावी हुये समझे जायेंगे।

२. इस पृष्ठभूमि में, संपत्ति कर की रकम के दुगनी शास्ति के उद्ग्रहण के बजाय, शास्ति की रकम सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाये, का उपबंध करने की दृष्टि से, महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन् १९६५ का महा. ४०) की धारा १८९क संशोधित करना भी प्रस्तावित हैं। यह शास्ति का उद्ग्रहण, तब भी नगर परिषद को, विधि के अधीन ऐसी अविधिमान्य संरचना के संबंध में व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाहियाँ हाथ लेने से नहीं रोक सकेगा। उक्त धारा १८९क की उप-धारा (१) में द्वितीय परंतु भी जोडा गया हैं, ताकि यह उपबंध किया जा सके कि, तद्धीन सरकार द्वारा सुनिश्चित किये गये दर, उक्त धारा १८९क के निगमित होने के दिनांक से, भूतलक्ष्यी प्रभाव से, समझे जायेंगे।

३. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना हैं।

नागपूर,
दिनांक ९ जुलाई, २०१८।

देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ, निम्न प्रस्ताव अन्तर्ग्रस्त हैं, अर्थात् :–

खण्ड ५.– इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार को, **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित विधि द्वारा यथा संशोधित मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम या, यथास्थिति, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्‌भूत होने वाली कठिनाई का निराकरण, संशोधन अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के भीतर करने की शक्ति प्रदान की गई हैं।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिये उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप का हैं।

(यथार्थ अनुवाद)

हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
नागपूर,
दिनांकित १३ जुलाई, २०१८ ।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C, DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004., EDITOR: SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.